

महर्षि अहकाम

(नियम 24)

अन्न अदालत - उखण्ड अधिकारी मुकाम-जहाजपुर (शाहपुरा)

करदा तालत भिता मंगारान मीमा निवासी-उधरगा

बनाम

धन्ना भिता मूरा नुर्जर निवासी-उधरगा, तहसील-जहाजपुर कौला

क्रिम मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 आर एन.आर.ए. मुकदमा नं. 328/2024

तारीख हुकम	हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियलस अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम को तामील में जारी हुये
13/05/24	<p>प्रार्थना पत्र सिंग से बाद जॉइ रिमाट पत्र हुआ। प्रकरण उज रिजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जसिये अमिनाफक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की ग्राम उधरगा, प.ह. बेई तहसील-जहाजपुर में स्थित आ.सं. 404 कुल कित्ता 1 रकबा 0.4694 हैक्टर, आ.सं. 399, 400, 402, 52 कुल कित्ता 4 रकबा 0.6151 हैक्टर, आ.सं. 398/1, 398/2 कुल कित्ता 2 रकबा 1.1331 हैक्टर, आ. सं. 30/9 कुल कित्ता 1 रकबा 0.3237 हैक्टर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगम उक्त वर्गित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगम से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अमिनाफक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगम के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र पत्र 111, 128 राले आर एन.ए. स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम उधरगा, प.ह. बेई तहसील-जहाजपुर में स्थित आ.सं. 404 कुल कित्ता 1 रकबा 0.4694 हैक्टर, आ.सं. 399, 400, 402, 52 कुल कित्ता 4 रकबा 0.6151 हैक्टर, आ.सं. 398/1, 398/2 कुल कित्ता 2 रकबा 1.1331 हैक्टर, त्ता सं. 30/9 कुल कित्ता 1 रकबा 0.3237 हैक्टर कृषि भूमि की समय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु नू अमिलेख निरीक्षक शक्करगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/-रूपये तय किये जाते है। जो प्रार्थी नौके पर जवा करेगा, उनमें से 200/-रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला-शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024328/2024

दिनांक :-13.05.2024

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र.सं. 328 /24 अनवान बरदा लाल पिता गंगाराम मीणा निवासी-उथरणा, तहसील-जहाजपुर बनाम धन्ना पिता भूरा गुर्जर निवासी-उथरणा, तहसील-जहाजपुर, लादू पिता हजारी बलाई निवासी-उथरणा, तहसील-जहाजपुर, बंशी पिता देबी मीणा निवासी-उथरणा, तहसील-जहाजपुर, सोजी पिता देबी मीणा निवासी-उथरणा, तहसील-जहाजपुर, प्रभू पिता लक्ष्मण मीणा निवासी-उथरणा, तहसील-जहाजपुर, मोहन पिता नारायण मीणा निवासी-उथरणा, तहसील-जहाजपुर की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम उथरणा, प.ह. बैई तहसील-जहाजपुर में स्थित आ.सं. 404 कुल किता 1 रकबा 0.4694 हैक्टर, आ.सं. 399, 400, 402, 52 कुल किता 4 रकबा 0.6151 हैक्टर, आ.सं. 398/1, 398/2 कुल किता 2 रकबा 1.1331 हैक्टर, आ. सं. 30/9 कुल किता 1 रकबा 0.3237 हैक्टर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ़ को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 2000/-रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/सम्मन भेजकर उभय पक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी आदेश पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)